



Ref No. GIL/CFD/SEC/27/075/SE

7<sup>th</sup> August 2026

**BSE Limited**  
**Scrip Code: 500300**

**National Stock Exchange of India Limited**  
**Symbol: GRASIM**

Dear Sir/Madam,

**Sub: Newspaper Advertisement**  
**Ref: Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of the newspaper advertisement regarding Intimation of loss of share certificate pertaining to a shareholder of the Company published in Nai Dunia (Indore Edition) in Hindi, dated 7<sup>th</sup> August 2026.

The same shall be uploaded on the Company's website [www.grasim.com](http://www.grasim.com).

The above is for your information and record.

Thanking you,

Yours sincerely,  
**For Grasim Industries Limited**

**Neelabja Chakrabarty**  
**Company Secretary and Compliance Officer**  
**ACS – 16075**

Encl: as above

**Cc:**

**Luxembourg Stock Exchange**  
35A Boulevard Joseph II  
L-1840 Luxembourg

**Citibank N.A.**  
Depositary Receipt Services  
388 Greenwich Street,  
26<sup>th</sup> Floor, New York,  
NY 10013

**Citibank N.A.**  
Custodial Services FIFC,  
11<sup>th</sup> Floor, C-54 & 55,  
G Block, Bandra (East),  
Mumbai 400051



एक नजर में

**मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या, पड़ोसी गिरफ्तार**  
नरसिंहपुर : जिले के गोटेगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में कक्षा तीसरी की मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले 28 वर्षीय पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। बालिका बुधवार को स्कूल गई थी। दोहहर करीब ढाई बजे पड़ोसी युवक उसे बहला-फुलानकर अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया।

**दो बच्चों के साथ कुएं में कूदी महिला, मौत**  
बबवानी : वरला थाना क्षेत्र के ग्राम दुगानी रामजी फलिया में महिला दो बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। इधने से तीनों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और महिला व बच्चों के शव को कुएं से निकाल लिया गया है। मृतक का नाम माया (24 वर्ष) निवासी ग्राम दुगानी है। दोनों बच्चों में एक की उम्र डेढ़ व दूसरी की करीब तीन साल बताई जा रही है।

**अमरकंटक अभयारण्य बनाने के प्रस्ताव पर विचार जारी**  
भोपाल : अनुपपुर जिले में स्थित अमरकंटक के वन परिक्षेत्र को अभयारण्य बनाए में कूद गई। इधने से तीनों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और महिला व बच्चों के शव को कुएं से निकाल लिया गया है। मृतक का नाम माया (24 वर्ष) निवासी ग्राम दुगानी है। दोनों बच्चों में एक की उम्र डेढ़ व दूसरी की करीब तीन साल बताई जा रही है।

**हाई कोर्ट से 17 साल बाद दो भाइयों को मिली राहत**  
जबलपुर : हाई कोर्ट ने दमाह के वर्ष 2009 के हत्याकांड में पुलिस जांच की ग़ुनाहगत तह गी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने पाया कि एफआइआर की विश्वसनीयता से लेकर हत्या में इस्तेमाल बताए गए चाकू और गवाहों के बयानों तक हमने ऐसे तथ्य हैं, जो अभियोजन की कहानी पर संदेह पैदा करते हैं। इन परिस्थितियों में न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति अनीन्द्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने तुलसीराम राजपाल और उसके भाई हरप्रसाद की उम्रकैद की सजा निरस्त कर दोनों को बरी कर दिया।

## उप मुख्यमंत्री से छात्राएं बोलीं-सर, सड़क बनवा दीजिए....

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : उप मुख्यमंत्री व देवास जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा गुरवार को देवास पहुंचे। यहां सड़क सुरक्षा समिति व भाजपा कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। जिस समय मंत्री देवड़ा सर्किट हाउस में थे, उसी समय सोनकच्छ क्षेत्र के बीसाखेड़ी माडल स्कूल की छात्राएं भी उनके पास पहुंचीं। छात्राओं ने सड़क बनवाने की मांग की।

छात्राओं ने उप मुख्यमंत्री देवड़ा से कहा कि सर, हमारी समस्या सुनो। हमारे यहां की सड़क बनाम दो। जब मंत्री ने विस्तर से पूछा तो बताया कि जलोदिया और ढाबला के बीच करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क कई वर्षों से नहीं बनी है। वर्षों में कीचड़ हो जाता है। इससे विद्यालय जाने में बहुत परेशाी होती है। देर होने पर शिक्षक डोटते हैं। सड़क के साथ भी पुल भी बनना चाहिए। 181 हेक्पलाइन पर शिकायत करने वाले एक छात्र के परिवार को आवास योजना का लाभ नहीं देने की धमकी दी गई। देवड़ा ने छात्राओं की समस्या सुनकर कहा कि सड़क और पुल, दोनों का निर्माण कराया जाएगा। आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

छात्राओं के सर्किट हाउस पहुंचने की जानकारी मिलने पर सोनकच्छ

## यहां हल्की सी चोट से गूंज उठते हैं करोड़ों साल पुराने पत्थर

**प्रकृति का अजूबा : विज्ञान इसे दुर्लभ भूगर्भीय संरचना मानता है तो लोकमान्यताएं जोड़ती हैं महाभारत काल से**

दीपक विश्वकर्मा • नईदुनिया

देवास : घने जंगल की खामोशी के बीच यकायक ठन... ठन... की आवाज गुंजती है। पहली बार सुनने वाला सहज ही समझता है कि कहीं लोहे के खंभे पर हथौड़ा पड़ा है, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही भ्रम टूट जाता है। सामने लोहा नहीं, **नईदुनिया विशेष** तरह कंपन करने योग्य बना देती पत्थर होते हैं। मध्य प्रदेश में देवास जिले के उदयनगर वन क्षेत्र स्थित कार्वाड़िया पहाड़ प्रकृति का ऐसा ही अनोखा आश्चर्य है, जहां करोड़ों वर्ष पुराने पत्थरों पर जब चोट की जाती है तो धातु जैसी गूंज उठती है। ये पत्थर लोहे के बजाय, साधारण कार्ला बेसाल्ट ही है।

भूगर्भ विशेषज्ञों के अनुसार यह पूरा क्षेत्र कालमनर बेसाल्ट की दुर्लभ संरचना का उदाहरण है। करोड़ों वर्ष पहले यहां ज्वालामुखी से निकला लावा धीरे-धीरे ठंडा हुआ। ठंडा

होने के दौरान लावा सिकुड़ा और उसमें प्राकृतिक दरारें बन गईं। इसी प्रक्रिया से पांच, छह और कहीं-कहीं आठ कोणों वाले लंबे पत्थर-स्तंभ तैयार हुए, जो आज भी यहां बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। इन पत्थरों की बनावट बहुत ठोस और सघन होती है। कुछ पत्थरों के भीतर मौजूद प्राकृतिक संरचना उन्हें घंटी की तरह कंपन करने योग्य बना देती है। जब ऐसे पत्थर पर हल्की चोट पड़ती है, तो वह कंपन कुछ क्षण तक उसके भीतर घूमता रहता है और उसी से धातु जैसी साफ गूंज सुनाई देती है। हालांकि, कार्वाड़िया पहाड़ के इन पत्थरों पर इस ध्वनि को लेकर अब तक कोई वैज्ञानिक अध्ययन प्रकाशित नहीं हुआ है।

दूसरा, यहां प्रत्येक पत्थर से आवाज नहीं निकलती। केवल कुछ खास आकार और बनावट वाले पत्थर ही धातु जैसी गूंज पैदा करते हैं।

होने के दौरान लावा सिकुड़ा और उसमें प्राकृतिक दरारें बन गईं। इसी प्रक्रिया से पांच, छह और कहीं-कहीं आठ कोणों वाले लंबे पत्थर-स्तंभ तैयार हुए, जो आज भी यहां बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। इन पत्थरों की बनावट बहुत ठोस और सघन होती है। कुछ पत्थरों के भीतर मौजूद प्राकृतिक संरचना उन्हें घंटी की तरह कंपन करने योग्य बना देती है। जब ऐसे पत्थर पर हल्की चोट पड़ती है, तो वह कंपन कुछ क्षण तक उसके भीतर घूमता रहता है और उसी से धातु जैसी साफ गूंज सुनाई देती है। हालांकि, कार्वाड़िया पहाड़ के इन पत्थरों पर इस ध्वनि को लेकर अब तक कोई वैज्ञानिक अध्ययन प्रकाशित नहीं हुआ है।

दूसरा, यहां प्रत्येक पत्थर से आवाज नहीं निकलती। केवल कुछ खास आकार और बनावट वाले पत्थर ही धातु जैसी गूंज पैदा करते हैं।



ऐसी संरचनाएं हैं पत्थरों की, जिन्हें देखने से लगता है कि किसी शिल्पी ने तराशा हो • नईदुनिया



अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

### पत्थरों को लेकर ये हैं लोकमान्यताएं

लोकमान्यता के अनुसार महाभारत काल में महाबली भीम ने मां नर्मदा का वेग रोकने के लिए इन पत्थरों से बांध बनाने का प्रयास किया था। एक अन्य जनश्रुति कहती है कि पांडव इन्हें कांवड़ में भरकर लाए थे, इसलिए इसका नाम कार्वाड़िया पहाड़ पड़ा।

### दुनिया में और भी हैं ऐसे उदाहरण

ग्राम पोर्टला के आसपास इस तरह के सात पहाड़ हैं। यहां जो संरचनाएं बनी हुई हैं, वैसे ही दुनिया में और भी जगह पर हैं। उत्तरी आयरलैंड का जाइट्स काजवे और स्कॉटलैंड की फिंगलस केव इसके उदाहरण हैं।

यहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन पत्थरों की आवाज सुनकर टिठक जाता है। अधिकारी लोगों को तब तक भरोसा ही नहीं होता, जब तक वे खुद पत्थर पर चोट करके उसकी ध्वनि नहीं सुन लेते।

अरुण भारकर, रथानी निवासी

कार्वाड़िया पहाड़ देवास जिले की विशेष धरोहर व प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ग्राम पोर्टला से कार्वाड़िया पहाड़ पहुंच मार्ग को सुगम बनाने के प्रयास हो रहे हैं। ऋतुराज सिंह, कलेक्टर, देवास

पहाड़ की संरचना बेहद दुर्लभ है। यह करोड़ों वर्ष पहले बेसाल्टिक मैग्मा के ठंडा होकर ठोस बनने से बनी है। ऐसी संरचना जर्मनी में भी है, पर इतनी विकसित नहीं है। देश में यहां जैसा उदाहरण कहीं नहीं मिला। इसे जियो-हेरिटेज घोषित किया जाना चाहिए। डा. नरेंद्र जोशी, प्रोफेसर, भूगर्भ विज्ञान विभाग, होलकर साइंस कालेज, इंदौर



## साइबर ठगों का नई 'कैश आउट गैंग' ठगी होते ही खाली कर देते हैं खाता

प्रशांत व्यास • नईदुनिया

भोपाल : साइबर ठगी के मामले में जांच कर रही पुलिस को इनके नेटवर्क की अहम जानकारी मिली है। ठगों ने हर शहर में अपने ऐसे 'पेड़ एजेंट' बैठा दिए हैं जो या तो सैलरी पर काम कर रहे हैं या कमीशन पर। वह ठगी की राशि खाते में आते ही एटीएम से नकदी निकाल कर खाता खाली कर देते हैं।

**इससे जब तक पुलिस खाता फ्रीज कराती है, तब तक रकम निकाली जा चुकी होती है। चौकाने वाली बात यह भी है की ठगों के बाद दूसरे राज्य के प्यूल खाते में धनराशि डाली जाती है और एटीएम से उसकी निकासी किसी अन्य राज्य में हो जाती है। इससे जांच प्रक्रिया उलझ कर रह जा रही है। इस पुलिस नेटवर्क को 'कैश आउट गैंग' बता रही हैं।**

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब तक साइबर ठग ठगी की रकम को कई बैंक खातों में ट्रांसफर कर उसकी लेयरिंग करते थे, लेकिन एनसीसीआरपी पोर्टल पर शिकायत मिलते ही संदिग्ध खातों को फ्रीज किया जाने लगा। ठगों ने इससे बचने का रास्ता निकाल लिया। अब वे हर साइबर ठगी के लिए नया बैंक खाता उपयोग में ला रहे हैं।

### बांग्लादेशी घुसपैटिए को सात साल की जेल, 10 हजार का जुर्माना भी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर : सीहोर जिले में बिना वैध दस्तावेज के अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को जिला सत्र न्यायालय ने सात साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वह फरवरी जाने से 29 साल पहले बांग्लादेश से भारत में आया था। राजस्थान पहुंचा वहां कई वर्ष अजमेर रहा फिर मग्न में आकर रहने लगा था। 27 अप्रैल 2025 को सीहोर कोतवाली पुलिस ने शहर के इंदिरा नगर टप्पर क्षेत्र में बांग्लादेशी नागरिक 44 वर्षीय इरशाद को पकड़ था।



### तिहाड़ से शुरू हुई कहानी

पूस्ताछ में खुलासा हुआ कि करवार सिंह नामक मूलतः अकाउंट एजेंट की मुलाकात तिहाड़ जेल में साइबर ठगी के मामले में बंद राजस्थान के एक साइबर सरगना के भाई से हुई थी। वहीं से इस नेटवर्क की नींव पड़ी। पिछले करीब एक वर्ष में करतार देशभर में सैकड़ों बैंक खाते खुलवाकर गिरोह को उपलब्ध करा चुका है। वह गिरोह केवल ऐसे करंट खाते या उच्च निकासी सीमा वाले बैंक खाते खरोदता है, जिनसे प्रतिदिन कम से कम एक लाख रुपये निकाले जा सकें।

एजेंटों को तीन प्रतिशत कमीशन या वेतन पर रखा है।

**ऐसे खुला इस गिरोह का राज :** शहर के हर्मादिया अस्पताल की एक महिला डाक्टर आनलाइन गेम खेलते समय करीब एक लाख रुपये की साइबर ठगी का शिकार हो गई।

डाक्टर राजस्थान की मूल निवासी थीं। उनके दस्तावेजों में राजस्थान का ही पता लिखा था। इसी से ठग भ्रमित हो गए।

## समान उद्देश्य वाली सरकारी योजनाओं का होगा विलय, अप्रसांगिक होंगी बंद

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश में अगले साल फरवरी में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। सभी विभागों से सात सितंबर तक बजट के प्रस्ताव मांगे गए हैं। 31 अक्टूबर तक बजट पर विभागवार चर्चा की जाएगी। नई योजना के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजना अनिवार्य होगा।

समान उद्देश्य वाली योजनाओं को आपस में मिलाया जाएगा और अप्रसांगित योजनाओं को बंद किया जाएगा। इनमें वे योजनाएं भी शामिल

हैं जिनके बजट मद खुले हैं लेकिन राशि आवंटित नहीं की गई है।

वित्त विभाग ने सभी विभागों को नए बजट के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें पिछले वर्ष के रोलिंग बजट के आधार पर प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। विभाग को अपने बजट प्रस्ताव का औचित्य बताना होगा।

राशि निर्धारण करते समय संभावित तिहाड़ियाँ की संख्या, पिछले वर्षों में किए गए व्यय, योजना की उपलब्धि और भविष्य की आवश्यकता का सप्ता आधार देना होगा।

| <div> <b>बैंक ऑफ़ बड़ौदा</b></div> <div><b>Bank of Baroda</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | सुखलिया इंदौर शाखा, इंदौर क्षेत्र<br>3, संगल नगर, सुखलिया इंदौर, मप्र-452010<br>मोबाइल नं. - 97524 10695,<br>ई-मेल: <a href="mailto:sukhal@bankofbaroda.co.in">sukhal@bankofbaroda.co.in</a> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधिपत्य हेतु सूचना पत्र चल एवं अचल सम्पत्तियों के लिए नियम 8 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                              |
| <small>बैंक ऑफ बड़ोदा के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विविध आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्विचार और प्रतिभूति हित प्रदान अधिनियम 2002 की धारा 13(2) संपरिचित नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शर्तियों का प्रवर्तन करके निम्न ऋणगृहितताओं / जमानतदारों से सूचना प्राप्ति की दिनांक से 60 दिन की समाप्तिवाधि में ऋण राशि आवा करने की अपेक्षा की गई थी। बूकि ऋणगृहितताओं/ जमानतदारों ने अवगमनी में चुटी की है अतः ऋणगृहितताओं/ जमानतदारों तथा सर्वसाधारण जनता को एवम द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपरिचित नियम 8 के अन्तर्गत प्राप्त कर लिया है। ऋणगृहितताओं/ जमानतदारों को विशेषतः तथा समस्त जनता को सावधानतः सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संश्लेषण कर के यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह बैंक ऑफ बड़ोदा के ऋणगृहितताओं/ जमानतदारों के सम्बन्ध वर्तित राशि एवं ब्याज के भार (प्रभार) के अधीन होगा। अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समय के संबंध में ऋणियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।</small> |                           |                                                                                                                                                                                              |
| ऋणियों/ जमानतदारों का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मांग सूचना लिंक कागल लिंक | रैंककाया राशि                                                                                                                                                                                |
| उच्चारकर्ता श्रीमती पार्वती जैन पति श्री बख्शीराम जैन, प्रोप्राइटर मेसरस पार्वती एंटरप्राइजेज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.05.2026<br>05.08.2026  | <b>60,65,169/-</b><br>+ ध्यात एवं अन्य खर्च                                                                                                                                                  |
| संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश लीजहोल्ड फैक्ट्री भूमि एवं उस निर्मित भवन, स्थित प्लॉट नंबर 92, इंडस्ट्रियल एरिया - रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, परदेशीपुरा, इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.), प्लॉट क्षेत्रफल 270 वर्ग मीटर, संपत्ति मालिक: मेसरस पार्वती एंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर श्रीमती पार्वती जैन पति श्री बख्शीराम जैन, इसकी घटुसीमा इन प्रकार है: उत्तर में - इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की भूमि, दक्षिण में - 26 मीटर चौड़ी सड़क, पूर्व में - प्लॉट नंबर 93, पश्चिम में - प्लॉट नंबर 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                              |
| स्थान: इन्दौर, दिनांक <span> </span> : 06.08.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                              |
| प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ोदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                              |

| ADITYA BIRLA                                                                                                                                                    |  | ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| सीआइएन: L17124MP1947PLC000410                                                                                                                                   |  | पंजीकृत कार्यालय: डाकघर बिरलानगर, नानदा - 456 331, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत, टेलीफोन नं.: +91 7366-246766 |  |
| गोपनीय कार्यालय: आदित्य बिड़ला केंद्र, ए बिंग, दूसरी मंजिल, एस. के. अहिरे मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 030, महाराष्ट्र, भारत                                       |  | टेलीफोन नं.: +91 22 6652 5000 / 2499 5000;                                                                      |  |
| ई-मेल: <a href="mailto:grasim.secretarial@adityabirla.com">grasim.secretarial@adityabirla.com</a> ; वेबसाइट: <a href="http://www.grasim.com">www.grasim.com</a> |  |                                                                                                                 |  |

इसके द्वारा **सूचित** किया जाता है कि कंपनी के नीचे बताए गए इडिटी शेयरों से संबंधित शेयर सर्टिफिकेट खो जाने या गुम हो जाने की सूचना मिली है और इनके परिपक्व शेयरहोल्डर/दावेदार ने इडुनीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आवेदन किया है।

अगर किसी व्यक्ति को इन इडिटी शेयरों के संबंध में कोई दावा या आपत्ति है, तो उसे इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से **15 दिनों** के भीतर कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस - **ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आदित्य बिड़ला सेंटर, 'ए' फ्लिंग, दूसरी मंजिल, एस. के. अहिरे मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 030, महाराष्ट्र** - में संबंधित दस्तावेजों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। यदि तय समय के भीतर कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी शेयरहोल्डर/दावेदार के अनुरोध पर आगे की कार्रवाई करेगी और बिना किसी अतिरिक्त सूचना के संबंधित शेयरों को सीधे शेयरहोल्डर/दावेदार के डीमैट खाते में जमा कर देगी, इसके बाद किसी भी व्यक्ति के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

| फोलियो नंबर | शेयरधारक(कों) का नाम | शेयरों की संख्या | सर्टिफिकेट नंबर | डिस्ट्रिक्टिव नंबर |
|-------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Y10100      | याद राम गुप्त        | 330              | 3092756         | 444513291          |
|             |                      |                  |                 | 444513620          |

कुते ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड हस्ता/-  
लिपि/—  
नीलाकाज चक्रवर्ती  
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी  
एसीएस-16075  
स्थान: मुंबई  
दिनांक: 7 अगस्त 2026

## ईएसबी बार-बार बदल रहा है परीक्षाओं का कैलेंडर, अभ्यर्थियों की तैयारी हो रही प्रभावित

**बदलाव • तीसरी बार संशोधित हुई समय सारिणी, दो परीक्षाओं का समय पहले बदल चुका**

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) अपने ही परीक्षा कैलेंडर का पालन करने में लगातार असफल साबित हो रहा है। अगस्त में प्रस्तावित परीक्षाओं की संशोधित समय-सारिणी जारी करते हुए तीसरी बार कैलेंडर में बदलाव किया गया है। इससे पहले दिसंबर, 2025 और इस साल अप्रैल में प्रस्तावित परीक्षाओं का कार्यक्रम बदला जा चुका है। जनवरी से अब तक चार प्रमुख भर्ती परीक्षाओं सहित कई पात्रता परीक्षाओं की तिथियां बदली गई हैं। **पांच अगस्त से शुरू होने वाली कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा अब सितंबर में होगी। इसी तरह समूह-01 उपसमूह-02 संयुक्त भर्ती परीक्षा, वनरक्षक और जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की तिथियों में भी संशोधन किया गया है।**

नए कैलेंडर में 11 भर्ती परीक्षाओं और एक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की रूपरेखा जारी की गई है, जबकि कई भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन अब भी लंबित हैं। बहुप्रतीक्षित वर्ग-1 शिक्षक भर्ती परीक्षा-2026 को सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह पिछले कैलेंडर की वर्ग-1 शिक्षक भर्ती परीक्षा-2026, समूह-2 उप समूह-2 और समूह-1 उप समूह 1 व समूह 2 उप समूह की संयुक्त भर्ती परीक्षाओं को सूची में शामिल नहीं किया गया है। दो से तीन माह तक परीक्षाएं टलने से लाखों अभ्यर्थियों की तैयारी, रोजगार प्रार्थना की योजना और मानसिक स्थिति प्रभावित हो रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बार-बार तिथियों के बदलने और प्रक्रियाओं में परिवर्तन के कारण उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है। **वनरक्षक और जेल प्रहरी**



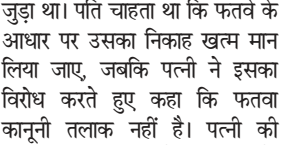
लंबित हैं। बहुप्रतीक्षित वर्ग-1 शिक्षक भर्ती परीक्षा-2026 को सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह पिछले कैलेंडर की वर्ग-1 शिक्षक भर्ती परीक्षा-2026, समूह-2 उप समूह-2 और समूह-1 उप समूह 1 व समूह 2 उप समूह की संयुक्त भर्ती परीक्षाओं को सूची में शामिल नहीं किया गया है। दो से तीन माह तक परीक्षाएं टलने से लाखों अभ्यर्थियों की तैयारी, रोजगार प्रार्थना की योजना और मानसिक स्थिति प्रभावित हो रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बार-बार तिथियों के बदलने और प्रक्रियाओं में परिवर्तन के कारण उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है। **वनरक्षक और जेल प्रहरी**

**परीक्षा में पदों को लेकर विवाद**  
वनरक्षक एवं जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा, जो अप्रैल में प्रस्तावित थी, यह 20 जून को आयोजित की गई। इसकी आवेदन प्रक्रिया फरवरी में पूरी कर ली गई थी। इसमें ओबीसी के पद शामिल नहीं किए गए थे। इस कारण प्रक्रिया विवादों में घिर गई। बाद में संबंधित विभाग द्वारा पदों की संख्या में संशोधन करते हुए ओबीसी वर्ग के लिए भी पद जोड़े गए हैं। देवास आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया में देरी हुई।

संपादकीय अग्रलेख  
परीक्षाओं की अनियमितता >>> पेज 4

### फतवे के आधार पर तलाक मान्य नहीं, कानूनी प्रक्रिया जरूरी : हाई कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुस्लिम विवाह-विच्छेद से जुड़े एक मामले में स्पष्ट किया है कि केवल फतवे के आधार पर निकाह खत्म नहीं माना जा सकता। धार्मिक संस्था या मसाजिद कमेटी धार्मिक राय तो दे सकती है, लेकिन कानूनी रूप से विवाह समाप्त करने का अधिकार सक्षम अदालत के पास ही है। यह मामला भोपाल की दारुल-दफा मसाजिद कमेटी के फतवे से जुड़ा था। पति चाहता था कि फतवे के आधार पर उसका निकाह खत्म मान लिया जाए, जबकि पत्नी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि फतवा काफ़ी तलाक नहीं है। पत्नी की याचिका पर सुनवाई में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने फतवे का अध्ययन किया। कोर्ट ने पाया कि फतवे में निकाह खत्म करने के लिए इस्लामी ग्रंथों के आधार पर पत्नी की कथित क़ूरता जैसी परिस्थितियों पर धार्मिक मार्गदर्शन दिया गया। कोर्ट ने कहा कि इस फतवे को कानूनी तलाक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई मदरसा, धार्मिक शिक्षण संस्था या मसाजिद कमेटी मुस्लिम पुरुष को कानूनी तलाक दे सकती।



जुड़ा था। पति चाहता था कि फतवे के आधार पर उसका निकाह खत्म मान लिया जाए, जबकि पत्नी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि फतवा काफ़ी तलाक नहीं है। पत्नी की याचिका पर सुनवाई में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने फतवे का अध्ययन किया। कोर्ट ने पाया कि फतवे में निकाह खत्म करने के लिए इस्लामी ग्रंथों के आधार पर पत्नी की कथित क़ूरता जैसी परिस्थितियों पर धार्मिक मार्गदर्शन दिया गया। कोर्ट ने कहा कि इस फतवे को कानूनी तलाक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई मदरसा, धार्मिक शिक्षण संस्था या मसाजिद कमेटी मुस्लिम पुरुष को कानूनी तलाक दे सकती।

## जगदीश के खाते में आई अलग-अलग राज्यों में ठगी के 11 मामलों की राशि



नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर : प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर ठगी के मामले में राज्य साइबर सेल जोन ग्वालियर की टीम द्वारा पकड़े गए शाजापुर जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार मालवीय फ़ौजी से संबंधित बैंक के

कर्ट खाते में अलग-अलग राज्यों में हुई ठगी के 11 मामलों की राशि का लेनदेन हुआ है। साइबर सेल टीम की जांच में यह बात सामने आई है। कई और महत्वपूर्ण जानकारी टीम को मिली है।

**राज्य साइबर सेल के डीएसपी संजीव नयन शर्मा ने बताया की आरोपित मालवीय फिलहाल पुलिस रिमांड पर है। जगदीश की सोसायटी से संबंधित संस्था के कर्त खाते में नवंबर 2025 से ठगी की राशि का लेनदेन प्रारंभ हुआ। दो से तीन करोड़ की राशि का लेन-देन इनके खाते में सामने आया है।** आरोपित मालवीय के कब्जे से एक लाख रुपये की जब्त किए गए हैं। पूछताछ में उसने टीम को कई महत्वपूर्ण

**पहली लेयर का ट्रांजेक्शन**  
डीएसपी शर्मा ने बताया कि ठगी के मामले में आरोपित जगदीश मालवीय से संबंधित खाते में पहली लेयर का ट्रांजेक्शन हुआ है। साइबर ठगी के मामलों में पहली लेयर में दो से सात तक खातों में ही रकम भेजने की बात सामने आई, किंतु इस मामले में पहली लेयर में ही 77 खातों में ट्रांजेक्शन हुए हैं। इसके बाद 15 लेयर में 20 हजार से अधिक खातों में ट्रांजेक्शन हुए हैं। फरियदी द्वारा 76 बैंक खातों में 106 बार में 21 करोड़ पांच लाख 92 हजार रुपये भेजे। इसके बाद 15 लेयर तक पैसा गया। 15 लेयर में 20 हजार से ज्यादा बैंक खाते चिह्नित हुए हैं। इसमें करीब 35 प्रतिशत पैसा दक्षिण के राज्यों के बैंक खातों में पहुंचा है। जगदीश के खाते में 50 लाख रुपये ट्रांजेक्शन हुआ था।

जानकारी दी है। इसके आधार पर टीम अन्य आरोपितों की तलाश में सागर जिले के लिए भी रवाना हुई है।

**राशि में रहती है हिस्सेदारी :** साइबर सेल टीम ने बताया कि ठगी की राशि ट्रांजेक्शन के लिए कर्त खातों का उपयोग किया गया। इन खातों के मालिकों को तय परसेंटेज या हिस्सेदारी दी जाती है।

### ऊर्जा मंत्री की मौत की फर्जी पोस्ट, युवक पर केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी : प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की मौत की झूठी खबर फेसबुक पर पोस्ट करने वाले करैरा निवासी सौरभ भावव पर अमोला थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

फरियादी हेमंत व्यास निवासी सुभाष कालोनी कमलागंज द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार 29 जुलाई को ग्राम सिरसौद थाना अमोला के कुछ लोगों ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का चित्र लगाकर सांकेतिक अंश निकाली थी।

उसी दिन करैरा निवासी सौरभ भावव ने अपने फेसबुक अकाउंट से कई लोगों को टैग करते हुए पोस्ट की-ओम शांति नहीं रहे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सिरसौद के ग्रामीणों ने नम आंखों से दी विदाई..., सुबह से मेरा मन दुखी है...।



राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : ग्वालियर-चंबल अंचल में दलित राजनीति का अपना स्थान है। इसी वजह से कभी यहां बसपा का अच्छा प्रभाव हुआ करता था। वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में बसपा जैसा प्रभाव आजाद समाज पार्टी (आसपा) की दिखा सकती है। ऐसा संकेत दत्तिया उपचुनाव में मिला है। आसपा प्रत्याशी दामोदर यादव ने आसपा को न केवल त्रिकोणीय मुकाबले में बदला बल्कि 22,527 वोट यानी 14.3 प्रतिशत वोट प्राप्त किए।

आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट हो